अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

कार्यालय जिला अधिकारी, गाजियाबाद

पत्रांकः 3198/कोविड–19/2023/ दिनांकः– 13 अप्रैल, 2023

कार्यालय ज्ञाप

भारत के कई प्रदेशों में कोविड–19 के केसेज में वृध्दि के साथ–साथ प्रदेश के भी कई जिलों में कोविड के मामलों की संख्या में वृध्दि हुई है, जिसमें जनपद गाजियावाद भी सम्मिलित है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुये कोविड–19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु निम्न सावधानियां एवं कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

➢ कार्यालयों हेतु दिशा निर्देश–

1. कार्यालयों पर कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन कराया जाए।
2. कार्यालयों में मास्क, सेनेटाइजर एवं सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
3. कार्यालयों में साफ–सफाई सुदृढ रखी जाए।
4. बिना मास्क (नो मास्क, नो इण्ट्री) इण्ट्री न दी जाए।
5. कार्यालयों में प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए।
6. दरवाजे, रेलिंग, लिफट, पार्किंग क्षेत्र इत्यादि को समय–समय पर सेनेटाइज किया जाए।
7. सर्दी–जुकाम, बुखार या फलू के लक्षण होने पर घर पर ही क्वारंटीन रहने एवं कोविड जॉच करने हेतु निर्देशित किया जाए।

➢ स्कूल/कालेज हेतु दिशा–निर्देश–

1. स्कूल/कालेजों में बच्चें/ विद्यार्थियों/शिक्षकों को मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया जाए।
2. कक्षा में बच्चों के बीच पर्यापत दूरी रखते हुए बैठाया जाए।
3. स्कूलों/कालेजों में प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए।
4. स्कूल/ कालेजों में हाथ धोने के साबुन एवं पानी अथवा हैण्ड सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
5. दरवाजे, रेलिंग, झूले इत्यादि को समय–समय पर सेनेटाइज किया जाए।
6. यदि किसी बच्चें को खॉसी, सर्दी, जुकाम, बुखार आदि की समस्या हो तो उन्हें स्कूल/कालेज न भेजा जाए तथा चिकित्सीय परामर्श प्राप्त कर उपचार प्रदान करें।

➢ चिकित्सालयों हेतु दिशा–निर्देश–

1. चिकित्सालयों में कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन कराया जाए।
2. मास्क, सेनेटाइजर एवं सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
3. साफ–सफाई सुदृढ रखी जाए।
4. बिना मास्क (नो मास्ट, नो इण्ट्री) इण्ट्री न दी जाए।
5. प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए।
6. दरवाजे, रेलिंग, लिफट, पार्किंग क्षेत्र इत्यादि को समय–समय पर सेनेटाइज किया जाए।
7. फीवर हेल्प डेस्क एवं कोविड हेल्प स्थापित किया जाए।
8. पर्चा काउन्टर/जॉच काउन्टर/दवा वितरण काउन्टर पर कतार को सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन कराते हुए लगाया जाए।
9. लक्षणयुक्त मरीजों की कोविड जॉच करायी जाए।
10. जनमानस को कोविड–19 से बचाव हेतु प्रचार–प्रसार समग्री के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाए।

Scanned with CamScanner

14.सर्दी–जुकाम, बुखार या फलू के लक्षण होने पर चिकित्सीय परामर्श पर ही औषधियों का सेवन करें।

15.सार्वजनिक स्थलों पर बार–बार प्रयोग होने वाली सतहो को छूने से बचे।

16.शारीरिक दूरी, इण्डोर मास्क का प्रयोग, शरीर के तापमान एवं आक्सीजन लेवल की निगरानी रखे।

17.शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों में भी कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन, मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेसिग का अनुपालन करें।

18.दुकानों, रेस्टोरेन्ट/होटल के रेस्टोरेन्ट एवं इटिंग ज्वायेंटस के द्वार पर पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाये तथा मास्क नही तो सामान नहीं का अनुपालन कराने हेतु व्यापार मण्डल से समन्वय स्थापित कर अनुसरण किया जाये।

19.सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रभावी पालन कराने हेतु राशन की दुकान व अन्य दुकानों में दो गज की दूरी रखते हुए स्थानों पर गोले बनाकर चिन्हांकन किया जाए ताकि दुकानों पर उपस्थित व्यक्यिों में उचित दूरी बनी रहे।

अतः समस्त सम्बन्धित से अपेक्षा है कि कोविड–19 से बचाव हेतु उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवायें।

13/4/23

(राकेश कुमार सिंह)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थय एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मण्डलायुक्त महोदया, मेरठ मण्डल मेरठ।
3. पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद।
5. उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ।
6. मुख्य विकास अधिकारी गाजियाबाद।
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजियाबाद।
8. समस्त अपर जिलाधिकारी गाजियाबाद।
9. नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उपजिलाधिकारी/ समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट गाजियाबाद।
10. उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र एवं प्रोतसाहन गाजियाबाद।
11. जिला विद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।
12. अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधी प्रशासन गाजियाबाद।
13. श्रमायुक्त गाजियाबाद।
14. जिला पूर्ति अधिकारी गाजियाबाद।
15. रेलवे स्टेशन मास्टर गाजियाबाद।
16. क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम गाजियाबाद।
17. समस्त जनपदीय स्तरीय अधिकारी।

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद। 13/4/23

Scanned with CamScanner